# SJVN Limited

(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of Himachal Pradesh)
A Mini Ratna& Schedule 'A' PSU
**Naitwar-Mori Hydro Electric Projects**
Mori, Distt. Uttarkashi (Uttarakhand) – 249128
**☎: 01373-234370, 🖷: 01373-234303**

No. SJVN/NM HEP/ENV/Sandra/2020-598-600 Dated: 28-11-2020

**To,**

**Additional Principal Chief Conservator of Forests,**
**Ministry of Environment, Forests & Climate Change,**
**Regional Office (Central), 25, Subhas Road,**
**Dehradun-248001 (Uttarakhand)**

**Subject:** Regarding Environment Clearance for extraction of sand, Bajari and boulders in Tons river in Sandra Range, Bainol Beet, Compartment-15 & 16, VPO- Mori, Tehsil- Mori, District- Uttarkashi (4.0 Ha.) - **Six Monthly Compliance Report** -regarding.

**Reference: Environment Clearance letter No. EC-162-01(139)/2020, dated 25.09.2020**

Sir,

With reference to the above-mentioned Environment Clearance letter, SJVN Limited is pleased to submit the Six-Monthly Compliance Report of the conditions stipulated in Environment Clearance for the period from 01.04.2019 to 30.09.2020. The Six-Monthly Compliance Report is enclosed as Enclosure-I.

Thanking you

Yours faithfully

28/11/2020
(H.R. Thakur)
General Manager/ Head of Project,
NM HEP, SJVN Limited, Mori
Distt.- Uttarkashi, Uttarakhand

**Encl: As above**

**Copy for information to:**

1. Member Secretary, State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Malik Chauk, 653, Indira Nagar Colony, Seemadwar Road, Dehradun-248006 (Uttarakhand).
2. Member Secretary, Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board (UEPPCB), 46-B, IT Park, Sahstradhara Road, Dehradun, (Uttarakhand).

**Enclosure-I**

# SIX MONTHLY COMPLIANCE REPORT

**(For Period Ending September, 2020)**

**(i) Details of Head of the Project**

Name of Head of Project :Er. Het Ram Thakur, Head of the Project

Address : SJVN Limited, Naitwar Mori Hydro Electric Project,
V.P.O.- Mori, District- Uttarkashi-249128 (Uttarakhand)

Telephone No. : 01373-234370

Mobile No. : +91-9418013440

Fax No. : 01373-234303

E-mail ID :nmjshep07@gmail.com

**(ii)** The Proposed CER Rs. 3,05,000.00- The amount has been kept separate for CER and will be utilized in the nearby schools for construction of girls & boy's toilets and e-classes.

**(iii) The point-wise compliance status** of Environment Clearance granted by SEIA, Uttarakhand vide E.C. No. 162-01(139)/2020 dated 25.09.2020 are as under:

| Sr. No. | Particular | Compliance Status |
|---|---|---|
| **1-** | **General Conditions** | |
| 1) | The mining/ extraction of mineral and progressive mine closure should be done as per the approved mine plan. The mine plan should have validity till the mining period. | The mining plan for five years has been approved by Director, Geology & Mining Unit, Directorate of Industries Uttarakhand, Dehradun vide letter no. 1236 dated 04.01.2020 **(Copy enclosed as Annexure-1).** |
| 2) | The proponent will ensure that mine site should have well demarcated safety zone i.e. mining operation will not be carried out in the vicinity of 100 m from nearby bridges, educational institution or structures of historical importance. | Shall be ensured |
| 3) | The project area shall be strictly used for the activities permitted. The workers will be strictly instructed to not to enter in the adjoining forest and not to harm any wildlife and existing vegetation for their various needs. No work shall be carried out after sunset. | Shall be ensured |
| 4) | The overall manpower will be restricted to bare minimum. Though mostly local labour will be deployed, but for the essential manpower staying at site, fuel wood will be provide for their cooking purpose. | Shall be ensured |
| 5) | Sufficient numbers of dustbins will be provided to labourers for | Shall be ensured |

| | | |
|---|---|---|
| | collection of their daily use garbage, Bio-degradable & solid garbage will be collected in separated bins & proper disposal of these garbage will be ascertained. | |
| 6) | At no stage mining shall be carried out after exhausting extraction of the estimated mineable quantity as stated above. | Shall be ensured |
| 7) | The mining operation would provide local employment and bring economic benefits to local population. | Shall be ensured |
| 8) | The proponent should provide Eco-friendly toilets for the workforce. The workers shall be directed to use the sanitation facilities provided at project site and instructed not to litter the project site. Sufficient numbers of Bio-Toilets will be provide to workers at sage distance from river flow bed. | Shall be ensured |
| 9) | Wild Animals being sensitive to noise, no project activities shall be carried out at night (sunset to sunrise) time. | Shall be ensured |
| 10) | All workers shall be imparted basic knowledge regarding the Do's and don'ts of working within Forest Areas. | Shall be ensured |
| 11) | Photography of the proposed mining site (preferably using Drone) should be done and submitted to SEIAA along with half- yearly compliance report. | Photograph is enclosed as Annexure-2. |
| 12) | The project proponent shall submit half yearly compliance report of stipulated conditions of Environment Clearance in soft copy through PARIVESH PORTAL given link: https://parivesh.nic.in. The compliance report shall also be e-mailed to the Regional Office in Dehradun in moef.ddn@gov.in. | Shall be ensured |
| **2-** | **Conditions for operation phase** | |
| 1) | The project proponent should advertise with basic details at least in two widely circulated local newspapers, within (7) days of the receipt of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance by the State Environment Impact Assessment Authority, Dehradun and a copy of the same be sent to the Regional Office of Ministry of Environment and Forest, Government of India located at 25 Subhash, Road Dehradun. | The environmental clearance accorded to the project has been advertised in two local newspapers i.e. *Dainik Jagran* and *Rastriya Sahara* on 30.09.2020 **(Copy enclosed as Annexure-3).** |
| 2) | Extraction of minor minerals shall be restricted to middle half of the width of river bed/mining site after leaving intact one-fourth of width of the river bed/mining site along its each bank. Breaking of boulders shall not be permitted in the mining lease area. | Shall be ensured |
| 3) | The collection of minor minerals during a working season shall start from centre of the river/ mining site width and shall gradually extend to the boundary of the permissible area so as to ensure maintenance of river geometry. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river/mining site width and shall be fixed at 1.5 meter or up to ground water level whichever is less. | Shall be ensured |
| 4) | Extraction of minor mineral is permitted from 1st October of every year to 15th June of the subsequent year. It shall be ensured that no mining activity is carried out during the monsoon season. Workers should be advised and protected against flash flood during 1st June to 15th June and 1stOctober to 31stOctober during which there may be rains in the hills. | Shall be ensured |
| 5) | The project proponent has to regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season. The monitoring | Shall be ensured |

| | | |
|---|---|---|
| | shall be ensured by Mines department/District Administration from time to time as per rules. | |
| 6) | The mining work shall be exclusively manual. No mechanical work or drilling/ blasting should be involved at any stage. Minor minerals shall be collected manually by using hand tools, and use of explosives and heavy machineries for breaking/collection of minor minerals are strictly prohibited. The use of J.C.B for mining is strictly prohibited. | Shall be insured |
| 7) | The collection time of river bed materials (RBM) shall be from sun-rise to sun-set. | Shall be ensured |
| 8) | The project proponent shall strictly adhere to the norms of Transport Department in refraining from use of polluting and less fuelefficient vehicles for transporting extracted minor minerals. There shall be no over loading of vehicles as per standard norms of Central Government/ State Government/ Hon'ble Courts from time to time. | Shall be ensured |
| 9) | There shall be no labour camp in the mining lease areas for the labour engaged in collection of the minor minerals. The labour engaged in collection/ extraction work shall be provided free fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forest land. | The labours are residing in the labour camps of the main Civil contractor (involved in construction of Naitwar-Mori HEP) which about 15 km away from the mining site. |
| 10) | The project proponent shall ensure that maximum local labour be engaged and hence employment opportunity provided. The project proponent shall follow all safety measures for labour force engaged in accordance with respected Acts/ Rules. | Shall be ensured |
| 11) | The proponent shall erect eco-friendly mobile toilets for the workforce at site and shall ensure disposal of solid waste as per the existing provisions/rules/guidelines. | Shall be ensured |
| 12) | The project proponent shall prepare the plan of mining in conformity with the mine lease conditions and the Rules prescribed in this regard thereby clearly delineating the No Work Zone' in the mine lease area (Non-mining area), distance from the bridges etc. it should be minimum 3m or $1/10^{th}$ of the width of the river whichever is more. | Shall be ensured |
| 13) | The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bed material and ensure that due to this activity the hydro-geological regime to the surrounding area are not affected. The proponent should not interfere with the flow of water and amount of water. | Shall be ensured |
| 14) | The project proponent shall ensure refraining from leaving behind clothes, personal belongings of labour engaged, polythene, plastic bottles, carton etc or any other solid waste in work site at the end of working season. | Shall be ensured |
| 15) | The project proponent shall provide protective respiratory devices to workers working in dusty areas and they shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained. | Shall be ensured |
| 16) | Link Road from mining site to main Road shall be maintained by the project- proponent. | Agreed |

3/5

| | | |
|---|---|---|
| 17) | The topsoil if any shall be stacked at earmarked site only and shall be used for reclamation. | Shall be ensured |
| 18) | Mineral handling, loading and unloading areas including all the transfer points should have efficient dust control arrangements. These should be properly maintained & operated. | Agreed |
| 19) | Effective safeguard measures, such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulate matter such as loading and unloading point and all transfer points. Extensive water sprinkling shall be carried out on haul roads. It should be ensured that the Ambient Air Quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board in this regard. | Shall be ensured |
| 20) | The project proponent shall plant minimum 7000 trees in first 2 years, in consultation with forest department, in nearby Van Panchayat followed by their maintenance in the next 3 years. | Shall be insured during plantation season. |
| 21) | Project proponent will strictly comply with provisions of EMP. | shall be complied |
| 22) | Project proponent will have to submit EMP/EIA report to Mining Department (Lessee) and Pollution Control Board before getting work order/ Consent to Establish or Operate. | EMP report has been uploaded on UEPPCB web portal along with Consent to Establish (CTE) application and e-mailed to Mining Department (Lessee) Uttarkashi on 29.10.20 20. The copy of CTE is enclosed as Annexure-4. |
| **3-** | **Conditions for entire life of the project** | |
| 1) | Legal status of the mining lease area shall remain unchanged and the Environmental Clearance shall remain coterminous with the lease period. The mined lease area shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal. | Agreed |
| 2) | In case of flash flood and river changing its meandering course, fresh proposal has to be submitted for grant of Environmental Clearance. | Agreed |
| 3) | The project proponent shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for sustainable extraction of the minor minerals from the mining lease area. | Shall be ensured |
| 4) | The project proponent shall use dust suppression equipment for sprinkling near by the mine site, so the PP was directed to leave 25% area from the river bank sides. | Shall be ensured |
| 5) | The project proponent has to regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season. The monitoring shall be ensured by Department of mines/District Administration from time to time. | Shall be ensured |
| 6) | The project proponent shall strictly adhere to the norms of Transport Department in refraining from use of polluting and less fuel-efficient vehicles for transporting extracted minor minerals. There shall be no over loading of vehicles as per standard norms of Central Government/ State Government/ Hon'ble Courts time to time. | Shall be ensured |
| 7) | If the ownership is transferred then fresh Environment clearance will be obtained under EIA notification dated 14.09.2006. However, no activity shall be undertaken till the Environment Clearance is transferred in his | Agreed |

4|5

| | | |
|---|---|---|
| | name and he is lawfully bound to comply with the conditions of the Environmental Clearance. | |
| 8) | The ministry of Environment, Forest and climate Change has formulated the "Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016". The Proponent shall ensure the implementation of the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016. | Shall be ensured |
| 9) | The project proponent shall set up Environment Management Cell which will also coordinate with general public, regulatory authorities and local administration to appraise environmental performance of the mining activity. | Shall be ensured |
| 10) | If it is found that if conditions laid down by the Authority are violated, the Authority may suspend or cancel this Environmental Clearance. | Agreed |

5/5

# **Annexure-1**

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

उपमहाप्रबन्धक,
सतलुज जल विद्युत निगम लि0,
तहसील– मोरी, जिला उत्तरकाशी।

संख्याः– /उ0ख0/भू0खनि0ई0/मा0प्लान/उत्त0/2019–20, दिनांक 04 ~~दिसम्बर, 2019~~ जनवरी 2020

विषयः– **उपमहाप्रबन्धक, सतलुज जल विद्युत निगम लि0, मोरी, जिला उत्तरकाशी के पक्ष में जनपद उत्तरकाशी तहसील मोरी के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत सान्द्रा रेंज बैनोल कक्ष सं0 15 एवं 16 कुल रकवा 4.00 है0 (1.20 लाख घनमीटर) (सीमांकित क्षेत्र 1.6200 है0) वन भूमि में नैटवार–मोरी जल विद्युज परियोजना के निर्माण कार्य के लिए उपखनिज के खनन हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु शासन के खनन पट्टा शासनादेश संख्या 1927/VII-I/2018/ 42ख/17, दिनांक 22 फरवरी, 2018 के क्रम में प्रस्तुत खनन योजना के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आपके द्वारा जनपद उत्तरकाशी तहसील मोरी के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1927/VII-I/2018 /42ख/17, दिनांक 22 फरवरी, 2018 के द्वारा आपके पक्ष में वन भूमि में 05 वर्ष की अवधि अथवा नैटवार–मोरी जल विद्युज परियोजना के निर्माण कार्य की अवधि तक, जो भी कम हो तक के लिए, आरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत सान्द्रा रेंज बैनोल कक्ष सं0 15 एवं 16 कुल रकवा 4.00 है0 क्षेत्र में 1.20 लाख घनमीटर उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) के चुगान हेतु स्वीकृत किया गया है। जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्र संख्या 1894/32–32–15 (2008–09), दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के साथ संलग्न सीमाबन्धन आख्या के अनुसार सीमाबन्धन के उपरान्त स्वीकृत क्षेत्रफल से बायीं तरफ निर्मित नदी तट सुरक्षा दीवार तथा आवासीय मकानों से नियमानुसार 50 मी0 दूरी छोडकर खनन योग्य प्राप्त क्षेत्रफल 1.6200 है0 के सापेक्ष 1.5 मी0 की गहराई पर आंगणित उपखनिज की मात्रा 24300 घनमी0 अर्थात 53460 टन से सम्बन्धित प्रस्तुत खनन योजना जोकि श्री हरीश कैन्थोला, मु0ख0/05/खनन/RQP/ 2015–16 के द्वारा तैयार की गयी है, को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियांओं के सुनियोजित संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–34 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति–2016 के विन्दु सं0–बिन्दु–22(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जाता है:–

<u>शर्ते</u>

1. खनन योजना का अनुमोदन खनन पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि से 05 वर्ष की अवधि अथवा नैटवार–मोरी जल विद्युज परियोजना के निर्माण कार्य की अवधि तक, जो भी कम हो तक के लिए किया गया है।
2. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति संख्या J–12011/15/2010/IAI, दिनांक 16 जून, 2016 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
3. पट्टाधारक द्वारा शासनादेश संख्या 1927/VII-I/2018/ 42ख/17, दिनांक 22 फरवरी, 2018 एवं पट्टा विलेख की समस्त शर्तो का अनुपालन करेगा।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा तथा खनन योजना के अनुसार खनन कार्य मैनुवल माइनिंग से, बिना ब्लाष्टिंग के प्रथम वर्ष में आर0एल0 1131.5 मी0 से 1135 मी0 तक 53460 टन, द्वितीय वर्ष में आर0एल0 1131.5 मी0 से 1135 मी0 तक 53460 टन, तृतीय वर्ष में आर0एल0

1131.5 मी0 से 1135 मी0 तक 53460 टन, चतुर्थ वर्ष में आर0एल0 1131.5 मी0 से 1135 मी0 तक 53460 टन तथा पंचम वर्ष में आर0एल0 1131.5 मी0 से 1135 मी0 तक 53460 टन उपखनिज का खनन किया जायेगा।

5. पट्टाधारक द्वारा अनुमोदित खनन योजना का भू–सन्दर्भित खनन पट्टा पलान्स अद्यारोपण उपरान्त भू–सन्दर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय एवं मुख्यालय, देहरादून में एक महा के अन्तर्गत प्रस्तुत की जायेगी।
6. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि इस खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोड़ कर अनुमोदित की जाती है।
7. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होंगे।
8. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी क्षेत्रान्तर्गत माननीय न्यायालय के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नहीं करती है।
9. अनुमोदित अवधि में किये गये खनन कार्य के निरीक्षण के उपरान्त यदि खनन योजना में संशोधन हेतु आदेश दिये जाते हैं तब संशोधित खनन योजना प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
10. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाएं असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
11. आबद्ध/नियोजित श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने तथा सुरक्षित खनन कार्य करने हेतु सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतने का दायित्व आवेदक का होगा।
12. अनुमोदित खनन योजना की एक–एक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय एवं निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व भी आवेदक का होगा।
13. अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, आवेदक द्वारा खनन कार्य न किये जाने के, पाये जाने पर, आवेदक के विरूद्ध पट्टे की शर्त का उल्लंघन माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।
14. खनन योजना इस शर्त के साथ अनुमोदित की जायेगी कि आप श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करेंगे।

**संलग्नकः–** खनन योजना की अनुमोदित प्रति।

भवदीय

/

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक

**संख्याः–1236 /उ0ख0/भू0खनि0ई0/मा0प्लान/उत्त0/2019–20,** तद्‌दिनांकित

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

4. अपर मुख्य सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
6. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद उत्तरकाशी।

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक

# **Annexure-2**

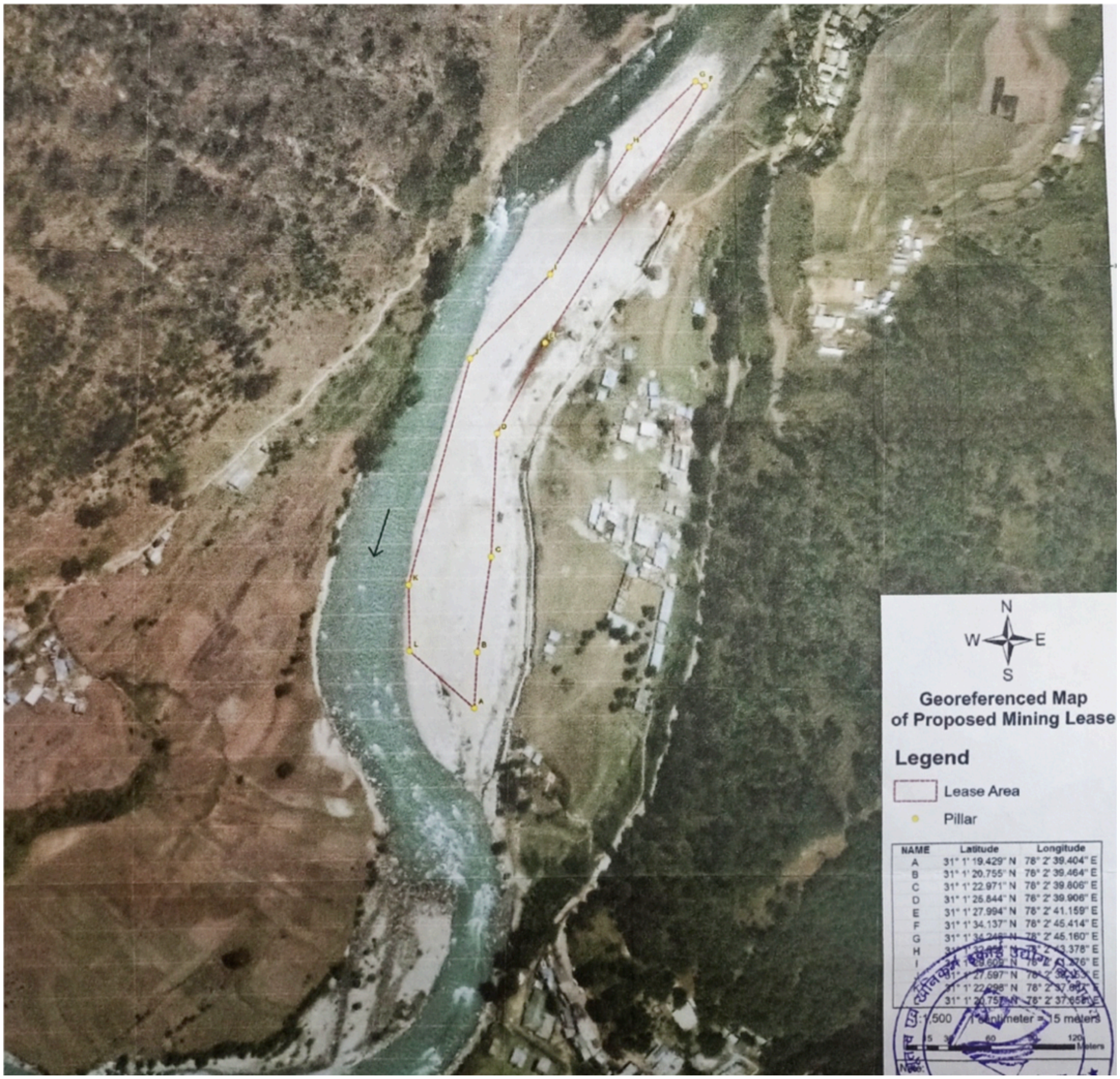
N
W
E
S
Georeferenced Map
of Proposed Mining Lease
Legend
Lease Area
Pillar
NAME Latitude Longitude
A 31° 1' 19.429" N 78° 2' 39.404" E
B 31° 1' 20.755" N 78° 2' 39.464" E
C 31° 1' 22.971" N 78° 2' 39.806" E
D 31° 1' 25.844" N 78° 2' 39.906" E
E 31° 1' 27.994" N 78° 2' 41.159" E
F 31° 1' 34.137" N 78° 2' 45.414" E
Meters

जन सम्पर्क अनुभाग
सम्पर्क कार्यालय,
देहरादून

दिनाँक: 30/9/2020

समाचार पत्रों की कटिंग्स सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

**एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited**
(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)

**नैटवाड़–मोरी जल विद्युत परियोजना (60 मेगावाट)**
मोरी, जिला–उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)–249128

**सार्वजनिक सूचना**

सर्वसाधारण को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा उत्तराखण्ड, जनपद उत्तरकाशी के सान्द्रा रेंज, बैनोल कक्ष संख्या 15 एवं 16 में खनन एवं चुगान हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, देहरादून द्वारा नैटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना (60 मेगावाट) के निर्माण के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पर्यावरण स्वीकृति की प्रति क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून, टौंस वन प्रभाग पुरोला एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के पास उपलब्ध है तथा इसे एसजेवीएन की वेबसाइट http://www.sjvn.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

01/LOPR/004

(दैनिक जागरण दिनाँक 30/09/2020)

**एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited**
(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)

**नैटवाड़–मोरी जल विद्युत परियोजना (60 मेगावाट)**
मोरी, जिला–उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)–249128

**सार्वजनिक सूचना**

सर्वसाधारण को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा उत्तराखण्ड, जनपद उत्तरकाशी के सान्द्रा रेंज, बैनोल कक्ष संख्या 15 एवं 16 में खनन एवं चुगान हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, देहरादून द्वारा नैटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना (60 मेगावाट) के निर्माण के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पर्यावरण स्वीकृति की प्रति क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून, टौंस वन प्रभाग पुरोला एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के पास उपलब्ध है तथा इसे एसजेवीएन की वेबसाइट http://www.sjvn.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

01/LOPR/004

(राष्ट्रीय सहारा दिनाँक 30/09/2020)

30/9/2020
(जन सम्पर्क अनुभाग)

वितरण:

1. मुख्य महाप्रबन्धक, प्रमुख, सम्पर्क कार्यालय, देहरादून।
2. महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), सम्पर्क कार्यालय, देहरादून
3. वरि. अपर महाप्रबन्धक (मा.सं.) , सम्पर्क कार्यालय देहरादून।

**Annexure-4**

# मुख्यालय
## उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
''गौरा देवी पर्यावरण भवन''

46बी, आई०टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

पत्रांक–यू.के.पी.सी.बी./एचओ/एनओसी–7410/2020/1126 दिनांक 21 11.2020

Registered/AD

सेवा में,

SJVN Limited,
Sandra Range, Bhasla Compartment No. 14 & 15,
Tehsil Mori, Distt. Uttarkashi.

Caf ID-10069
CTE- Fresh

विषय :–पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से उपखनिज के चुगान कार्य हेतु स्थापनार्थ सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक–13.10.2020 (Application No.-738142) एवं तत्सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालय की निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति का बोर्ड मुख्यालय में परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में विषयगत स्थल पर चुगान/खनन को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ सशर्त स्थापनार्थ हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) निर्गत किया जाता है।

1. यह स्थापनार्थ सहमति पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

| | |
|---|---|
| (क) स्थल/खनन क्षेत्र : | Sandra Range, Bhasla Compartment No. 14 & 15, Tehsil Mori, Distt. Uttarkashi. |
| (ख) खनन/चुगान : | Collection of Sand, Bajri & Boulders –237.6 MT/Day. |
| (ग) मुख्य कच्चे माल : | RBM –237.6 MT/Day. |
| (घ) औद्योगिक उत्प्रवाह : | Nil. |
| (ड.) प्रयुक्त ईंधन : | Nil. |

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः स्थापना हेतु सहमति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. चुगान/खनन क्षेत्र में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण की व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित् करें।
3. चुगान/खनन क्षेत्र में परीक्षण संचालन तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि वह बोर्ड से जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति (CTO) प्राप्त न कर ले। जल सहमति एवं वायु सहमति (CTO) प्राप्त करने हेतु इकाई में संचालन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. चुगान/खनन क्षेत्र में परीक्षण सचांलन से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।
5. जनित घरेलू उत्प्रवाह को सेप्टिक टैंक के माध्यम से सोकपिट में निस्तारित किया जाये।
6. यह स्थापना हेतु सहमति पत्र केवल घरेलू उत्प्रवाह के लिये मान्य है।
7. इकाई प्रतिवर्ष माह सितम्बर तक पर्यावरणीय वक्तब्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
8. **यह स्थापना हेतु सहमति पत्र जारी होने की तिथि से 05 वर्ष तक की अवधि के लिए वैध होगा।**
9. चुगान/खनन क्षेत्र का संचालन इस प्रकार से किया जाये, कि परिवेशीय वायु गुणवता सदैव बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।

10. चुगान/खनन क्षेत्र से जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थो को इस प्रकार निस्तारित किया जाये, कि जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की सम्भावना न रहे।
11. चुगान/खनन कार्य का संचालन इस प्रकार किया जाये, कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त न होवें। प्रदूषण सम्बन्धी जन -शिकायतें प्राप्त होने एवं पुष्टि होने पर स्थापना हेतु सहमति पत्र रिवोक कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्यमी का होगा।
12. चुगान/खनन क्षेत्र परिसर में चारों तरफ कम से कम 3 कतारों वाली हरित पट्टिका विकसित की जाये। हरित् पट्टिका हेतु सघन तथा छायादार वृक्षो का चयन किया जाये। हरित् पट्टिका हेतु निर्धारित भूमि पर निर्माण कार्य न किया जाये।
13. चुगान/खनन क्षेत्र में परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं ट्रांसबाउण्ड्री मूवमेन्ट) नियम 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा उत्पादन से पूर्व परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया जाये।
14. चुगान/खनन क्षेत्र में सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उपाय किये जायें तथा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
15. चुगान/खनन हेतु State Environment Impact Assessment Authority, (SEIAA), Uttarakhand द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति सं0-162-01(139)/2020 दिनांक 25.09.2020 में वर्णित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाये।
16. चुगान/खनन हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र सं0-1927/VII-I/2018/42-Kha/17 दिनांक 22.02.2018 में वर्णित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाये।
17. चुगान/खनन क्षेत्र में बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना डी0जी0 सेट आदि की स्थापना न की जाये।
18. विषयगत खनन स्थल पर खनन/चुगान कार्य सक्षम स्तर से अनुमोदित Mining Plan के अनुसार ही किया जाये तथा खनन/चुगान कार्य मात्र सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही किया जाये।
19. इकाई चुगान/खनन कार्य इस प्रकार किया जाये कि जल एवं वायु प्रदूषण की समस्यायें उत्पन्न न होंवे। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार जल छिड़काव की व्यवस्थायें की जाये ताकि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव मानकों के अनुरूप रहे।
20. विषयगत स्थल पर खनन/चुगान कार्य मात्र Manually किया जाये।
21. खनन/चुगान कार्य इस प्रकार सुनिश्चित् किया जाये कि खनन/चुगान से नदी/जल धारा का प्राकृतिक प्रवाह किसी भी दशा में बाधित न होंवे तथा समीपवर्ती जल स्त्रोतों की गुणवत्ता किसी भी दशा में प्रभावित न होवें।
22. खनन/चुगान से प्राप्त रेता/बजरी/पत्थर के परिवहन हेतु आबद्ध वाहनों की नियमित जांच सुनिश्चित् की जाये, ताकि परिवेशीय वायु गुणवत्ता सदैव मानकों के अनुरूप रहे।
23. विषयगत स्थल पर खनन/चुगान कार्य समाप्ति के दो पूर्व इकाई Mining Closure Plan की प्रतियां सभी सम्बन्धित विभागों को प्रेषित् किया जाना सुनिश्चित् करें, उक्त कार्य हेतु पूर्व से ही Corpus fund की व्यवस्था की जाये।
24. खनन/चुगान कार्य मात्र सक्षम स्तर से सीमांकित क्षेत्र के अन्तर्गत ही किया जाये।
25. खनन/चुगान हेतु समय-समय पर शासन/सक्षम स्तर से प्रेषित् आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाये।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो का प्रभावी एवं सन्तोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापना हेतु सहमति (CoE) पत्र निरस्त कर दिया जयेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है, कि स्थापना हेतु सहमति पत्र (Consent to Establish) की शर्तो में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया दिया जाये।

उपर्युक्त विशिष्ट **एवं** सामान्य शर्तो के सम्बन्ध में खनन क्षेत्र द्वारा इस कार्यालय में **दिनाँक** 03.12.2020 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित् की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये, अन्यथा स्थापना हेतु सहमति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

भवदीय

(एस0पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

*पृ0-सं0 एवं दिनाँक/उपरोक्तानुसार*
प्रतिलिपिः- क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं उपरोक्त के अनुपालन हेतु प्रेषित्।

पर्यावरण अभियन्ता